राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
(A Government of Rajasthan Undertaking)

1. विधानसभा में प्रस्तुत की दिनांक 10.3.2016
2. [illegible] राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना [illegible]

प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन

1st ANNUAL REPORT
2013-14

अनुक्रमणिका

शीर्षक	पृष्ठ सं.
निदेशक मण्डल	4
वार्षिक साधारण सभा की सूचना	6
निदेशकों का प्रतिवेदन	10
परियोजनायें	20
स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	22
भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां	46

CIN : U45201RJ2013SGC043014

223

CONTENTS

Title	Page No.
BOARD OF DIRECTORS	5
ANNUAL MEETING NOTICE	7
DIRECTORS' REPORT	11
PROJECTS	21
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	23
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT	47

CIN : U45201RJ2013SGC043014

निदेशक मण्डल

श्री ओमेन्द्र भारद्वाज
अध्यक्ष
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

श्री सुनील अरोड़ा
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान सरकार

श्री डी.बी.गुप्ता
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
प्रमुख सचिव, पीडब्लूडी, राजस्थान सरकार

श्री मनोज भट्ट
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
महानिदेशक, भ्रष्टाचार–निरोध ब्यूरो

श्री सुरेश चन्द्र दिनकर
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
विशेष सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

श्री भुपेन्द्र दक
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
अतिरिक्त महानिदेशक, कारागार

श्री मोहन लाल लाठर
प्रबंध निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, पुलिस आवासन

कम्पनी सचिव :
सीमा अग्रवाल एण्ड एसोशिएटस्
वैधानिक अंकेक्षक :
गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्

BOARD OF DIRECTORS

Shri Omendra Bharadwaj,
Chairman, RPHCCL,
DGP, Rajasthan .

Shri Sunil Arora,
Director RPHCCL,
Additional Chief Secretary, Home.

Shri D.B. Gupta,
Director RPHCCL,
Principal Secretary, PWD.

Shri Manoj Bhatt,
Director RPHCCL,
D.G., ACB.

Shri Suresh Chandra Dinker,
Director RPHCCL,
Spl. Secretary Finance Dept.

Shri Bhupendra Dak,
Director, RPHCCL,
A.D.G., Jail.

Shri Mohan Lal Lather,
Managing Director, RPHCCL,
ADGP, Police Housing.

Company Secretary : Seema Agrawal & Associates.

Statutory Auditors : Garg Narendra & Associates.

CIN : U45201RJ2013SGC043014

मीटिंग सूचना

यह सूचना दी जाती है कि राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के सदस्यों की प्रथम वार्षिक साधारण सभा का आयोजन महानिदेशक पुलिस का चैंबर, द्वितीय मंजिल, पुलिस मुख्यालय, जयपुर में सोमवार, 29 सितम्बर, 2014 को सांय 4 बजे निम्नलिखित कार्य सम्पादन करने के लिये नियत किया गया है।

सामान्य व्यवसाय

1. वर्ष 2013–14 के कम्पनी के अंकेक्षित वार्षिक लेखों (31 मार्च, 2014 को तुलन–पत्र एवं उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु लाभ व हानि विवरण के साथ उनसे संलग्न लेखों पर टिप्पणियां) के साथ उन पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों के प्रतिवेदन को प्राप्त, विचारित एवं अंगीकृत करना।

2. निम्नलिखित संकल्प को यथा साधारण संकल्प के विचारित, यदि उचित समझा जाये, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, पारित करना :

"**संकल्प किया गया कि** वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस् चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को यथा कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति को एतद्द्वारा उनके स्वीकृति पत्र के अधीन, पुष्टि की जाती है और मंजूरी दी जाती है।

आगे संकल्प किया गया कि कम्पनी के निदेशक मण्डल को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये वैधानिक अंकेक्षकों को देय पारिश्रमिक को नियत करने एवं कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति को प्रभावी करने के लिये सभी कार्य, संलेख एवं बातों को, जो आवश्यक एवं प्रासंगिक हो, करने के लिये एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

मण्डल के आदेश से
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के लिये

पंजीकृत कार्यालय
कमरा संख्या 105,
पुलिस मुख्यालय,
लाल कोठी, जयपुर
05 सितम्बर, 2014

ह.

(मोहन लाल लाठर)
प्रबंध निदेशक

CIN : U45201RJ2013SGC043014

275

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

IG POLICE HEADQUARTER, ROOM NO. 105, POLICE HEAD QUARTERS, LAL KOTHI, JAIPUR 302015

Meeting notice

Notice is hereby given that the first Annual General Meeting of the members of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited is scheduled to be held on Monday, 29th September 2014 at 4.00 PM at the chamber of DG Police, II floor, Police Headquarter, Jaipur, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited annual accounts for the year 2013-14 (Balance Sheet as on 31st March, 2014, and Statement of Profit and Loss Account for the year ended on that date, along with Notes on Accounts appended thereto) together with the Reports of Directors and Auditors thereon.
2. To Consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution:
   "RESOLVED THAT the appointment of M/s Garg Narendra & Associates, Chartered Accountants, Jaipur by the Comptroller and Auditor General of India as the Statutory Auditors of the company be and is hereby confirmed and approved for the financial year 2014-15, subject to their acceptance letter.
   FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorized to fix the remuneration payable to the Statutory Auditors and to do all such acts, deeds and things, as may be necessary and incidental, for giving effect to the appointment of Statutory Auditors of the Company for the financial year 2014-15."

By order of the Board

For Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd

Sd.

(Mohan Lal Lather)
Managing Director

Regd. Office
Room No. 105, Police Head Quarters
Lal Kothi, Jaipur
5th September, 2014

टिप्पणी :

1. सभा में उपस्थित होने एवं वोट करने के हकदार सदस्य, अपने स्थान पर, उपस्थित होने एवं वोट करने हेतु प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिये अधिकृत है एवं प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है तो कम्पनी के पास यथावत् रूप से पूरा किया हुआ निम्नलिखित प्रतिनिधि का प्रपत्र, सभा के प्रारम्भ होने के अड़तालीस घण्टे पूर्व, न कि उसके पश्चात्, वापिस आ जाना चाहिये।

28

Note:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not to be a member. In case a proxy is appointed, the following form of proxy should be returned to the Company, duly completed, no later than forty eight hours before the commencement of the meeting.

निदेशकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को कम्पनी के व्यवसाय एवं संचालन पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुये वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखों के विवरण एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट सहित **प्रथम** वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के अन्तर्गत 22 जून, 2013 से प्रारम्भ एवं 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि है, जिसके लिये संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नलिखित है :

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु (रूपये में)	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु (रूपये में)
अन्य आय	82,396	0
वर्ष के लिये व्यय	(4,78,078)	0
पूर्वावधि/असाधारण/अपवादात्मक मदें	0	0
वर्ष के लिय कर पूर्व लाभ/(हानि)	(3,95,682)	0
करों के व्यय (शुद्ध)	शून्य	शून्य
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	शून्य	शून्य

चालू वर्ष 2013–14 के दौरान यद्यपि कम्पनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियां प्रारम्भ कर दी है परन्तु 31 मार्च, 2014 तक वास्तविक संकर्म शुरू नहीं हो सके जिसके परिणामतः परिचालन से राजस्व शून्य रहा है। समस्त राजस्व आय अन्य स्त्रोतों से हुई आय है जिसमें मुख्यतः ब्याज की आय सम्मिलित हैं।

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

DIRECTORS' REPORT

Dear Members,

Your Directors are pleased to present the first Annual Report on the business and operations of your Company together with the audited statement of accounts for the year ended on 31st March, 2014, and the Auditors' Report thereon.

FINANCIAL RESULTS:

The year under report covers a period commencing from 22nd June 2013 and ended on 31st March, 2014, for which the summarized financial results are as under:

Particulars	For the year ended on 31st March, 2014 (in ₹)	For the year ended on 31st March, 2013 (in ₹)
Other Income	82,396	0
Expenses for the year	(4,78,078)	0
Prior period/Extra ordinary/Exceptional items	0	0
Profit/(Loss) for the year before Tax	(3,95,682)	0
Tax Expenses (Net)	NIL	NIL
Profit/(loss) after Tax	NIL	NIL

During the current year 2013-14 also though the Company has commenced its business, but till 31.03.2014, the actual works could not be started and, thus, resulting in to *Nil* revenue from operations. The entire revenue income is from other sources of income, which mainly includes interest income.

CIN : U45201RJ2013SGC043014

कार्पोरेट समीक्षा

पुलिस हेतु आवास का निर्माण कार्य

जैसा कि सदस्यों को विदित है कि राजस्थान सरकार ने आवासीय योजनाओं, कार्यालयों, कारागृह, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन, प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस, होमगार्ड़, कारागार के कर्मचारियों एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के लिये आवास के निर्माण कार्य का संकल्प किया है और इस कथित कार्य की कार्यान्वति के लिये राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ का यथा राज्य सरकार के उपक्रम के गठन किया है। कम्पनी की परिचालन गतिविधियां वर्ष 2013–14 में प्रारम्भ नहीं हुई है।

अंशपूंजी एवं वापसी क्रय

22 जून 2013 से कम्पनी की प्राधिकृत तथा प्रदत्त अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी अंश का वापसी क्रय नहीं किया है।

लाभांश

कम्पनी परियोजना के कार्यान्चयन स्तर पर है एवं वर्ष के दौरान नुकसान उठाना पड़ा है। अतः आपके निदेशक वर्ष 2013–14 के लिये कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं करते है।

निदेशक

निम्न यथा कम्पनी के निदेशक नियुक्त किये गये:

– श्री अशोक सम्पतराम, आईएएस,	22 जून, 2013 से
– श्री जगदीश चन्द्र मोहंती, आईएएस,	22 जून, 2013 से
– श्री हरीश चन्द्र मीणा, आईपीएस,	22 जून, 2013 से
– श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, आईपीएस,	22 जून, 2013 से
– श्री अजीत सिंह, आईपीएस,	22 जून, 2013 से
– श्री सुरेश चन्द्र दिनकर, आईएएस,	22 जून, 2013 से
– श्री मेघ चन्द मीणा, आईपीएस,	22 जून, 2013 से
– श्री सुनील अरोड़ा, आईएएस,	31 दिसम्बर, 2013 से
– श्री भुपेन्द्र दक, आईपीएस,	28 मार्च, 2014 से

272

CORPORATE REVIEW:

1. POLICE HOUSING CONSTRUCTION WORK:

As the members are aware, the Government of Rajasthan (GoR) has resolved to take up Construction work of housing schemes, offices, jails, police stations, police posts, police lines, training institutions, accommodations for employees of police, Home Guard, jails and other personals of Home department, Government of Rajasthan, and the Rajasthan Police Housing Construction & Corporation Ltd. (RPHCC) has been created as an undertaking of the State Government for implementing the said work. The operations of the Company has not been commenced in the year ending 2013-14.

SHARE CAPITAL AND BUY BACK:

There has been no change in the authorised and paid-up share capital of the Company since 22nd June, 2013.

Your Company has not done any buy back of shares during the year under review.

DIVIDEND:

The Company is at the project implementation stage and has incurred loss during the year. Hence your Directors do not recommend any dividend for the year 2013-14.

DIRECTORS:

Following were appointed as Directors on the Board of Directors of the Company:

- Shri Ashok Sampatram, IAS, with effect from 22nd June, 2013.
- Shri Jagdish Chandra Mohanty, IAS, with effect from 22nd June, 2013.
- Shri Harish Chandra Meena, IPS, with effect from 22nd June, 2013.
- Shri Omendra Bharadwaj, IPS, with effect from 22nd June, 2013.
- Shri Ajit Singh, IPS, with effect from 22nd June, 2013.
- Shri Suresh Chandra Dinkar, IAS with effect from 22nd June, 2013.
- Shri Megh Chand Meena, IPS with effect from 22nd June, 2013.
- Shri Sunil Arora, IAS with effect from 31st December, 2013.
- Shri Bhupendra Dak, IPS with effect from 28th March, 2014.

CIN : U45201RJ2013SGC043014

– श्री मनोज भट्ट, आईपीएस, 28 मार्च, 2014 से
– श्री मोहन लाल लाठर, आईपीएस, 28 मार्च, 2014 से
– श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता, आईएएस, 30 जून, 2014 से

निम्न की यथा कम्पनी के निदेशक के सेवाएं समाप्त हो गयी:

– श्री अशोक सम्पतराम, आईएएस, 31 दिसम्बर, 2013 से
– श्री हरीश चन्द्र मीणा, आईपीएस, 28 मार्च, 2014 से
– श्री अजीत सिंह, आईपीएस, 28 मार्च, 2014 से
– श्री मेघ चन्द मीणा, आईपीएस, 28 मार्च, 2014 से
– श्री जगदीश चन्द्र मोहंती, आईएएस, 30 जून, 2014 से

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में कम्पनी का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि –

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की परिस्थितियों तथा उस अवधि के कम्पनी के लाभ/हानि का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य देने के लिए निदेशकों ने उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन कर समनुरूपता से प्रयुक्त किया एवं निर्णय तथा प्राक्कलन किये, जो युक्तियुक्त व उचित है।

(iii) कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व प्रकट करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के संधारण का उचित व पर्याप्त ध्यान रखा गया है, तथा

(iv) वार्षिक लेखें चल रहे महत्व के आधार पर तैयार किये गये है।

निक्षेप

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए के निबंधन में जनसाधारण से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

- Shri Manoj Bhatt, IPS with effect from 28th March, 2014.
- Shri Mohan Lal Lather, IPS with effect from 28th March, 2014.
- Shri Devendra Bhushan Gupta, IAS, with effect from 30th June, 2014.

Following ceased to be Directors on the Board of Directors of the Company:

- Shri Ashok Sampatram, IAS, with effect from 31st December, 2013.
- Shri Harish Chandra meena, IAS, with effect from 28th March, 2014.
- Shri Ajit Singh, IPS, with effect from 28th March, 2014.
- Shri Megh Chand Meena, IPS, with effect from 28th March, 2014.
- Shri Jagdish Chandra Mohanty, IAS, with effect from 30th June, 2014.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, the Board of Directors of the Company confirms that-

i. in preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards have been followed;

ii. the Directors had selected such Accounting Policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for that period;

iii. the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and

iv. the Directors had prepared the Annual Accounts on a going concern basis.

DEPOSITS:

During the year under review your Company has not accepted any deposits from public in terms of Section 58A of the Companies Act, 1956.

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1)(डी) के अन्तर्गत प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं इस प्रतिवेदन की दिनांक के मध्य कोई ऐसा तात्विक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं है जो कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सके।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (बी) के निबंधनों के अनुसार आरक्षित मे अंतरण

प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के लिए, कम्पनी ने कोई राशि आरक्षित में अंतरित नहीं की है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी में कोई कर्मचारी नहीं है जिसका ब्यौरा कम्पनी (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियम, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अन्तर्गत दिये जाने की आवश्यकता है।

अंकेक्षक

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा इस बारे में किये गये सुझाव के अनुसार कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

वैधानिक अंकेक्षकों ने बिना किसी अर्हता के निर्बाध रिपोर्ट दी है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय (अर्जन व निर्गम)

कम्पनी (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (ई) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय के विवरण निम्न प्रकार है:

CIN : U45201RJ2013SGC043014

DISCLOSURES UNDER SECTION 217(1) (d) OF THE COMPANIES ACT, 1956:

There have been no material changes and commitments that occurred between the end of the year and the date of this report which can affect the financial position of the Company.

TRANSFER TO RESERVES IN TERMS OF SECTION 217(1) (b) OF THE COMPANIES ACT, 1956:

For the year under report the Company has not transferred any sum to Reserves.

PARTICULARS OF EMPLOYEES:

There is no employee in the Company whose particulars are required to be given under section 217(2A) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, as amended.

AUDITORS:

Your Directors recommend the appointment of statutory auditors of the Company as per the suggestion made in this behalf by the Comptroller and Auditor General of India.

AUDITORS' REPORT:

The statutory auditors have given clean report without any qualification.

CONSERVATION OF ENERGY, TECNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

The particulars, as required under the provisions of Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988, in respect of conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo, are as under:

इस संबंध में आपके निदेशक प्रस्तुत करते है कि ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय हेतु सभी संभव कदम उठाये जायेगें।

ए. ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण के लिये सभी संभावित क्षेत्रों में ध्यान रखा जाता है जैसे कि विद्युत, ईधन एवं ऊर्जा उपभोग में बचत एवं प्रबंधन का निरन्तर अत्यधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है। ऊर्जा के अधिकतम संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाया जा रहा है।

बी. प्रौद्योगिकी समावेशनः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यापार की जरूरतों तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रौद्योगिकी का समावेशन एवं उसी के अनुकूलन की दिशा में प्रबंधन द्वारा निरंतर और सत्त प्रयासों को सुनिश्चित किया गया है।

सी. विदेशी मुद्रा की आय व व्यय (अर्जन व निर्गम)

वर्ष 2013–14 में कोई विदेशी लेन–देन के संव्यवहार नहीं हैं।

मण्डल के निमित्त और उसकी ओर से

ह०	ह०
(ओमेन्द्र भारद्वाज)	**(मोहन लाल लाठर)**
अध्यक्ष	**प्रबंध निदेशक**

दिनांक : 4 सितम्बर, 2014

स्थान : जयपुर

281

In this respect, your Directors have to submit that all the possible steps will be taken for conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earning and outgo.

A. ENERGY CONSERVATION:

The conservation of energy is taken care of in all possible areas like, saving electricity, fuel and power consumption and receives highest attention of the Management on a continuous basis. Several environment-friendly measures are being adopted by the Company to ensure maximum conservation of energy.

B. TECHNOLOGY ABSORPTION:

During the year under review, the management has ensured continued and sustained efforts towards absorption of technology and adaptation of the same to meet business needs and objectives.

C. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

There has been no foreign transaction in the year 2013-14.

For and on behalf of the Board

	Sd.	**Sd.**
Date: 4th September, 2014	**(Omendra Bharadwaj)**	**(Mohan Lal Lather)**
Place: Jaipur	**Chairman**	**Managing Director**

CIN : U45201RJ2013SGC043014

परियोजनाएं

शून्य

Projects

Nil

CIN : U45201RJ2013SGC043014

गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

CA

109–110, शिवज्ञान एवेन्यू
2, युधिष्ठर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाषः 0141–2222021, 2223021
ई–मेलः nkg@gna-ca.com वेबसाइट www.gna-ca.com

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण,
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र, 22 जून, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि हेतु लाभ व हानि विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये प्रबंधन जिम्मेवार है जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में निगम कार्यकलाप मंत्रालय द्वारा जारी किया गया साधारण परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय निष्पादन का सत्य एवं स्वच्छ चित्रण प्रकट करते है। वित्तीय विवरण जो कि सत्य एवं स्वच्छ चित्रण प्रकट करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारवान् अयथार्थ विवरण से मुक्त है उनका प्रस्तुतीकरण एवं तैयारी से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण की योजना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण इस जिम्मेवारी में सम्मिलित है।

अंकेक्षको का उत्तदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत प्रकट करना है। हमने हमारा अंकेक्षण, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा जारी किये गये अंकेक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित किया है। ये मानक अपेक्षा करते है कि हम अंकेक्षण को इस प्रकार आयोजित एवं निष्पादित करे कि वित्तीय विवरणों से यथोचित यह आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये सारभूत अयथार्थ विवरणों से मुक्त है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The Members,
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

Report on Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of M/s Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd. ('the Company'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014 and the Statement of Profit and Loss for the period 22nd june,2013 to 31st march,2014 and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements:
Management is responsible for the preparation of these financial statements that give true and fair view of the financial position and financial performance of the company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of Companies Act, 1956 read with the General Circular 15/2013 dated 13 September, 2013. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्

CA

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

109–110, शिवज्ञान एवेन्यू
2, यूधिष्ठर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष: 0141–2222021, 2223021
ई–मेल: nkg@gna-ca.com वेबसाइट www.gna-ca.com

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरणों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अनुपालन सम्मिलित है। चाहे कपट या त्रुटि के कारण, सारवान् अयथार्थ विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित अंकेक्षकों के निर्णय पर, प्रक्रिया का चयन निर्भर करता है। उन जोखिमों का निर्धारण करने में, अंकेक्षक अंकेक्षण प्रक्रिया जो कि उन परिस्थितियों में उचित है, की योजना तैयार करने में कम्पनी का वित्तीय विवरणों के स्वच्छ प्रस्तुतीकरण एवं तैयारी से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण का विचार करते है, परन्तु कम्पनी के आंतरिक नियत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत अभिव्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं है। अंकेक्षण में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किये गये लेखा प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

अभिमत

हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को चाही गई रीति से उपलब्ध कराते है तथा भारत में सामान्यतः प्रचलित लेखा सिद्वान्तों के अनुरूप सत्य एवं स्वच्छ चित्रण प्रकट करते है।

(ए) **31 मार्च, 2014** को कम्पनी के कार्यकलाप की परिस्थिति पर तुलन–पत्र के मामले में; एवं

(बी) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि के "लाभ व हानि खातों" के मामले में।

अन्य विधिक एवं विनियमाक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया कम्पनी (अंकेक्षणों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 द्वारा अपेक्षित विवरण इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं है, क्योकि हमारे मत में एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित आदेश कम्पनी पर लागू नहीं है।

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true ad fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at March 31, 2014
b) in the case of the Statement of Profit & Loss, of the Loss for the year ended on that date;

Report on Other Legal and Regulatory Requirement

1. The report dose not include a statement on the companies (Auditor's Report) Order, 2003 issued by the Central Government in terms of Sub Section 4A of Section 227 of the Companies Act 1956 Act, since in our opinion and according to the information and explanation given to us, the said orders is not applicable to the company.

गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

CA

109–110, शिवज्ञान एवेन्यू
2, यूधिष्ठर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष: 0141–2222021, 2223021
ई–मेल: nkg@gna-ca.com वेबसाइट www.gna-ca.com

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम वर्णन करते है कि:–

(ए) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास से हमारे अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(बी) हमारे मत में, जहां तक इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रकट होता है, हमारे विचार में विधि द्वारा अपेक्षित लेखों की उचित पुस्तकों को रखा गया है ।

(सी) इस प्रतिवेदन में व्यावहारित तुलन–पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता लेखा पुस्तकों की अनुरूपता लिये हुये है।

(डी) हमारे मत में तुलन–पत्र एवं लाभ एवं हानि विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में निगम कार्यकलाप मंत्रालय द्वारा जारी किया गया साधारण परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानको की पालना करते है।

(ई) 31 मार्च, 2014 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर एवं निदेशक मण्डल द्वारा रिकार्ड पर लिये गये, कोई भी निदेशक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) के अनुसार, 31 मार्च, 2014 को यथा निदेशक के नियुक्त होने के लिये निरर्हित नहीं है।

कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

ह०

(राकेश तोतुका)
साझेदार
सं.सं. 070530

स्थान : जयपुर
दिनांक : 04.09.2014

2. As required by Section 227(3) of the Act, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

(c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss comply with the Accounting Standards referred in sub section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 read with the General Circular 15/2013 dated 13 September, 2013 issued by the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013.

(e) On the basis of the written representations received from the Directors as on March 31, 2014, taken on record by the Board of Directors, none of the Directors is disqualified as on March 31, 2014 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

Sd.
(Rakesh Totuka)
Partner
M.No. 070530

PLACE : JAIPUR
DATED : 04.09.2014

31 मार्च, 2014 को तुलन–पत्र

(राशि रूपयो में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को
I. साम्या एवं दायित्व		
(1) अंशधारकों की निधि		
(ए) अंश पूंजी	2	50,00,000
(बी) आरक्षित एवं अधिशेष	3	(3,95,682)
(3) गैर–चालू दायित्व		
(ए) आस्थगित कर दायित्व	4	–
(4) चालू दायित्व		
(ए) अल्पावधि उधारें	5	2,64,690
(बी) अन्य चालू दायित्व	6	1,37,536
कुल		**50,06,544**
II. आस्तियां		
(1) गैर–चालू आस्तियां		
(ए) स्थिर आस्तियां		
(बी) गैर–चालू निवेश		
(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
(ई) अन्य गैर–चालू आस्तियां		
(2) चालू आस्तियां		
(ए) चालू निवेश		
(बी) इन्वेन्ट्रि (सम्पत्ति सूची)		
(सी) व्यावसायिक प्राप्य		
(डी) नकद एवं बैंक शेष	7	49,96,951
(ई) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	8	9,593
कुल		**50,06,544**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1	
लेखों पर टिप्पणियां	2 से 13	

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

ह०

(राकेश तोतुका)
साझेदार
स.सं. 070530
स्थान : जयपुर
दिनांक : 04.09.2014

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

ह०
(मोहन लाल लाठर)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06868493

ह०
(ओमेन्द्र भारद्वाज)
निदेशक
डीआईएन : 06577607

(286)

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

CIN : U45201RJ2013SGC043014

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2014

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2014
I. EQUITY AND LIABILITIES		
(1) Shareholder's funds		
(a) Share capital	2	50,00,000
(b) Reserves and surplus	3	(3,95,682)
(3) Non-Current liabilities		
(a) Deffered tax liability	4	-
(4) Current liabilities		
(a) Short-term borrowings	5	2,64,690
(b) Other current liabilities	6	1,37,536
Total		**50,06,544**
II. ASSETS		
(1) Non-current assets		
(a) Fixed assets		-
(b) Non-current investments		-
(c) Long term loans and advances		-
(d) Other non-current assets		-
(2) Current assets		
(a) Current investments		-
(b) Inventories		-
(c) Trade receivables		-
(d) Cash and bank balances	7	49,96,951
(e) Short-term loans and advances	8	9,593
Total		**50,06,544**
Significant accounting policies	1	
Notes on accounts	2 to 13	

As per our separate report of even date

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

Sd/-
(Rakesh Totuka)
Partner
M.No. 070530

Sd/-
(Mohan Lal Lather)
Managing Director
DIN:06868493

Sd/-
(Omendra Bharadwaj)
Director
DIN:06577607

Place : Jaipur
Date : 04/09/2014

22 जून, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिये लाभ व हानि खाता विवरण

(राशि रूपयो में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुये वर्ष के लिये
III **राजस्व**		
I परिचालन से राजस्व		–
II अन्य आय	9	82,396
कुल राजस्व (I+II)		**82,396**
IV **व्यय :**		
परिचालन, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	10	4,78,078
कुल व्यय		**4,78,078**
V **अपवादात्मक एवं असाधारण मदें एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**(3,95,682)**
VI अपवादात्मक मदें		-
VII **असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (V+VI)**		**(3,95,682)**
VIII असाधारण मदें		–
IX **कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(3,95,682)**
X **कर के व्यय**		–
XI **कर पश्चात् लाभ/(हानि) (IX-X)**		**(3,95,682)**
XII **प्रति साम्या अंश उपार्जन :**		
मूल एवं मन्दित	11	(7.91)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1	
लेखों पर टिप्पणियां	2 से 13	

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

ह०
(राकेश तोतुका)
साझेदार
स.सं. 070530
स्थान : जयपुर
दिनांक : 04.09.2014

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

ह०
(मोहन लाल लाठर)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06868493

ह०
(ओमेन्द्र भारद्वाज)
निदेशक
डीआईएन : 06577607

287

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

CIN : U45201RJ2013SGC043014

STATEMENT OF PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD FROM 22.6.2013 TO 31.3.204

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	For the year ended 31st March, 2014
III Revenue		
I. Revenue from operations		-
II. Other income	9	82,396
Total revenue (I +II)		**82,396**
IV. Expenses:		
Operational, administrative & other expenses	10	4,78,078
Total expenses		**4,78,078**
V. Profit/(Loss)before exceptional & extraordinary items & tax (III - IV)		**(3,95,682)**
VI. Exceptional items		-
VII. Profit/(Loss) before extraordinary items and tax (V + VI)		**(3,95,682)**
VIII. Extraordinary items		-
IX. Profit/(Loss) before tax (VII - VIII)		**(3,95,682)**
X. Tax expense		-
XI. Profit/(Loss) after tax (IX-X)		**(3,95,682)**
XII. Earning per equity share:		
Basic & diluted	11	**(7.91)**
Significant accounting policies	1	
Notes on accounts	2 to 13	

As per our separate report of even date

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

Sd.
(Rakesh Totuka)
Partner
M.No. 070530

Sd.
(Mohan Lal Lather)
Managing Director
DIN:06868493

Sd.
(Omendra Bharadwaj)
Director
DIN:06577607

Place : Jaipur
Date : 04/09/2014

सामान्य जानकारी **टिप्पणी संख्या 1.**

कम्पनी को सेवारत पुलिस एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के हितों हेतु आवासीय योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिये स्थापित किया गया है।

राजस्थान राज्य पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ पुलिस, होमगार्ड, कारागार के कर्मचारियों एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के आवास के लिये, सड़क मल–व्यवस्था, जल निकास व्यवस्था के निर्माण और सभी प्रकार के सिविल व विद्युत व अन्य कार्यों सहित भवन निर्माण के कार्य को महत्व देगा।

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कम्पनी ने अपना प्रथम प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमति हेतु प्रस्तुत किया है। यह आगामी वित्तीय वर्ष में अपना रूप ले लेगा।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(1) वित्तीय विवरणों की तैयारी और लेखांकन के आधार

प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अनुसार लेखें ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत लेखांकन के संभूति आधार पर तैयार किये गये है। इन वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में निगम कार्यकलाप मंत्रालय द्वारा जारी किया गया साधारण परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानको के साथ सभी सारवान पहलूओं की पालना हेतु तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं है, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के सुसंगत है।

(2) प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार करने के लिये, प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की दिनांक को आस्तियों एवं दायित्वों की प्रतिवेदित राशि एवं समाश्रित दायित्वों के प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान परिचालनों के परिणाम को प्रभावित करने वाले घटकों का पूर्वानुमान एवं आंकलन करना अपेक्षित है। यद्यपि यह प्राक्कलन प्रबंधन के वर्तमान घटनाओं और कार्यों के उत्तम ज्ञान पर आधारित है, परन्तु वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते है।

प्रत्येक तुलन–पत्र की दिनांक को प्राक्कलन एवं निहित पूर्वधारणाओं की समीक्षा की जाती है। प्राक्कलनों में संशोधन को उस अवधि में जिसमें परिणाम ज्ञात होते है, मान्यता दी जाती है।

General Information

Note No. 1

The Company is established to formulate and execute housing scheme for the benefit of serving police and other personnel in the Home Department of the Government of Rajasthan.

The Rajasthan State Police Housing and Construction Corporation Ltd. will emphasis the work of construction of building including the construction of roads, sewerage, drainage and all type of civil and electric and other works for the housing of the employees of police, home guards, jails, and other personals in the home department, Government of Rajasthan.

The company has submitted its proposals/projects to attain its objective to the finance department for its kind approval. The same will take its shape in the next financial years.

Significant Accounting Policies

1. **Basis of preparation and accounting**

The accounts are prepared on the accrual basis of accounting under the historical cost convention in accordance with the applicable accounting standards. These financial statements have been prepared to comply with all material aspects with the accounting standards notified under section 211(3C) of the Companies Act, 1956(the Act) read with the General Circular 15/2013 dated 13th September ,2013of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013.Accounting policies not specifically referred to otherwise are consistent with generally accepted accounting principles.

2. **Use of estimates**

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed at each Balance Sheet date. Revisions in the estimates are recognized in the periods in which the results are known/materialize.

CIN : U45201RJ2013SGC043014

(3) राजस्व मान्यता

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है तथा आय–व्यय के महत्वपूर्ण मदों को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता देती है।

माल का विक्रय

जब माल के स्वामित्व की महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल क्रेता को संक्रान्त हो जाती है तब राजस्व को मान्यता दी जाती है।

ब्याज

बकाया राशि एवं लागू दर को ध्यान में रखते हुए राजस्व को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(4) मूर्त आस्तियां

मूर्त आस्तियां, संचित ह्रास और क्षीणता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर उनके निर्माण के अधिग्रहण की लागत पर वर्णित है। तथापि, रिपोर्टिंग दिनांक को कम्पनी के पास कोई मूर्त आस्तियां नहीं है।

(5) अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों को जब ही मान्यता दी जाती है जब यह संभावित है कि भावी आर्थिक लाभ जो कि आस्तियों से हुआ माना जा सकता है, कम्पनी के लिए होगा तथा आस्तियों की लागत विश्वासपूर्वक परिमाणित की जा सकती है। तथापि, रिपोर्टिंग दिनांक को कम्पनी के पास कोई अमूर्त आस्तियां नहीं है।

(6) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल एवं मन्दित अर्जन साम्या अंशधारियों के उपरोप्य अवधि के शुद्ध लाभ या हानि(उपरोप्य करों को घटाने के पश्चात्) एवं अवधि के दौरान बकाया साम्या अंशों की भारित औसत संख्या को विभाजित करके परिकलित है।

प्रति शेयर मन्दित अर्जन, साम्या अंशों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के अन्त में बकाया मन्दन संभाव्य साम्या अंशों के अनुसार परिकलित है।

(7) आय कर

(ए) चालू एवं आस्थगित कर, दोनों के लिये कर के प्रावधान किये जाते है। चालू आय कर हेतु प्रावधान निर्धारणीय आय के आधार पर चालू कर की दरों से किये जाते है।

(बी) आस्थगित आय कर, तुलन–पत्र की दिनांक को आस्तियों एवं दायित्वों के मूल कर एंव वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनो हेतु उनकी वहन राशि के मध्य सभी अस्थायी अन्तर पर लिया जाता है।

3. **Revenue Recognition**

The Company follows mercantile system of accounting and recognizes significant items of income & expenditure on accrual basis.

Sale of goods

Revenue is recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer.

Interest

Revenue is recognised on a time proportionate basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

4. **Tangible Assets:**

Tangible Assets are stated at their cost of acquisition of construction less accumulated depreciation and impairment loss, if any. However, the Company has no tangible asset as on the reporting date.

5. **Intangible Assets:**

Intangible assets are recognized only when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the assets will flow to the Company and the cost of the assets can be measured reliably. Intangible assets are stated at cost less accumulated ammortisation and impairment loss, if any. However, the Company has no intangible asset as on the reporting date.

6. **Earning Per Share**

Earnings per equity share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at end of the year.

7. **Income Tax**

(a) Provision for tax is made both for current and deferred taxes. Provision for current income tax is made on the current tax rates based on assessable income.

(b) Deferred Income Tax is provided on all temporary difference, at the balance sheet date between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

(सी) आस्थगित कर आस्तियां एवं दायित्वों को उस समय अधिनियमित या तुलन–पत्र की दिनांक को सारतः अधिनियमित कर दर एवं कर कानुनों के अनुसार परिमाणित किया जाता है।

(8) निवेश

दीर्घकालीन निवेश, यदि कोई हो, तो ऐसे निवेश मूल्य में अस्थाई के अतिरिक्त सूक्ष्मता के लिए, कम लागत प्रावधान पर किये गये है। चालू निवेश निम्नतर लागत एवं उचित मूल्य पर किये गये है।

(9) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में हस्तगत नकद, बैंक–नकद एवं पी. डी. खाता सम्मिलित है। कम्पनी, क्रय दिनांक से 3 माह या कम की अवधि में मूल परिपक्वता वाले सभी अति तरल निवेशों को नकद समतुल्य के विचारित करती हैं।

(10) प्रावधान एवं आनुषंगिक दायित्व

जब पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता हो तब परिमाण में अनुमान के पर्याप्त अंश निहित वाले प्रावधानों को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि स्त्रोतों का बाह्य गमन होगा। समाश्रित दायित्वों को मान्यता नहीं दी जाती है परन्तु टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

(11) आस्तियों का ह्रासन

प्रतिवेदित दिनांक को यदि स्थिर आस्तियों की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो वहन राशि को वसूली राशि तक कम किया जाता है। वसूली योग्य राशि को शुद्ध विक्रय मूल्य से उच्चतर परिमाणित किया जाता है एवं उपभोग मूल्य भावी रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य द्वारा निश्चित किया जाता है।

(12) व्यापार का अप्रारम्भण

कम्पनी ने अपना व्यापारिक परिचालन प्रारम्भ नहीं किया है एवं कोई मुख्य संव्यवहार नहीं हुए है, कम्पनी अपनी लेखांकन नीति तब प्रकट करेगी जब यह अपने परिचालन प्रारम्भ करेगी।

(c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that been enacted or substantially enacted at the balance sheet date.

8. **Investments**

Long-term investments are stated at cost less provision for diminution other than temporary, if any, in value of such investments. Current investments are valued at lower of cost and fair value.

9. **Cash and Cash Equivalents**

Cash and Cash Equivalents comprises of cash and cash at bank and PD account. The company considers all highly liquid investments with an original maturity of three months or less from date of purchases, to be cash equivalents.

10. **Provisions and Contingent Liabilities**

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognised but disclosed in the notes.

11. **Impairment of Assets**

If the carrying amount of fixed assets exceeds the recoverable amount on the reporting date, the carrying amount is reduced to the recoverable amount. The recoverable amount is measured as the higher of the net selling price and the value in use determined by the present value of future cash flows.

12. **Non Commencement of Business Operation**

The Company has not commenced its business operation and no major transactions have taken place, the company will disclose its accounting policies when it will commence its operations.

अंशपूंजी

टिप्पणी संख्या 2.

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को
अधिकृत अंशपूंजी	
प्रत्येक 100 रू. मूल्य के 1,00,000 साम्या अंश	1,00,00,000
निर्गमित, अभिदत एवं प्रदत्त	
प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 100 रू के 50,000 साम्या अंश	50,00,000
	50,00,000

(2.1) बकाया अंशो की संख्या का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2014 को अंशों की संख्या
वर्ष के प्रारम्भ में साम्या अंश	–
जोड़ियें : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	50,000
घटाईये : वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा वापस लेने पर निरस्त	–
वर्ष के अन्त में साम्या अंश	**50,000**

(2.2) अंशों से बद्ध अधिकार, अधिमान एवं निर्बन्धन

साम्या अंश : कम्पनी के एक ही वर्ग के अंश 100/– रूपये के सममूल्य वाले अंश है। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश एक वोट करने के अधिकार का हकदार है। कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में, साम्य अंशों के धारक सभी अधिमान राशि के वितरण पश्चात् शेष रही आस्तियों को उनकी अंशधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2.3) कम्पनी के अंशो के 5 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले अंशधारियों का विवरण

अंशधारक का नाम	31 मार्च, 2014 को	
	धारिता का प्रतिशत	अंशों की संख्या
महामहिम राज्यपाल की ओर से श्री सुरेश चन्द्र दिनकर (सचिव वित्त व्यय)	99.98 प्रतिशत	49,994
योग	**99.98 प्रतिशत**	**49,994**

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

CIN : U45201RJ2013SGC043014 NOTE NO. 2

SHARE CAPITAL

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2014
Authorised Share Capital:	
1,00,000 Equity shares of Rs.100/- each	1,00,00,000
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP	
50,000 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up	50,00,000
	50,00,000

2.1 The Reconciliation of the Number of shares outstanding as under :

Particulars	As at 31st March, 2014 No. of Shares
Equity Shares at the beginning of the year-	
Add : Shares issued during the year	50,000
Less : Cancelled during the year on buy back of securities	
Equity Shares at the end of the year	**50,000**

2.2 Right, Preferences & Restrictious attached to Shares

Equity Shares : - The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100/- per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. In the event of liquidation, the Equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their share holding.

2.3 The Details of Shareholders holding more than 5% of Shares

Name of Share Holder	As at 31st March, 2014 % held	 No. of Share
Shri Suresh Chandra Dinkar (Sec. Finance Expenditure) On Behalf of His Excellency the Governor of Rajasthan	99.98	49,994.00
Total	**99.98**	**49,994.00**

आरक्षित एवं अधिशेष

टिप्पणी संख्या : 3

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को
लाभ एवं हानि खाता	
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	–
वर्ष के लिये लाभ / (हानि)	(3,95,682)
अन्तिम शेष	(3,95,682)

आस्थगित कर दायित्व

टिप्पणी संख्या : 4

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को
आस्थगित कर दायित्व (ए)	–
योग (ए)	–
आस्थगित कर आस्तियां (बी)	
निगमन व्यय से संबंधित	92,702
हानियों को आगे लाये जाने से संबंधित	29,563
योग (बी)	**1,22,265**
शुद्ध आस्थगित कर दायित्व {(ए)–(बी)}	(1,22,265)

भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–22 "आय पर कर हेतु लेखांकन" के अनुसार कम्पनी ने 1.22 लाख रूपये की आस्तियों पर आस्थगित कर नहीं दिया है, क्योकि आने वाले वर्षो में कर का क्रेडिट प्राप्त करने की कोई यथार्थ निश्चितता नहीं है।

अल्पावधि उधारें

टिप्पणी संख्या : 5

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को
पुलिस मुख्यालय से अल्पावधि ऋण	2,64,690
योग	**2,64,690**

अन्य चालू दायित्व

टिप्पणी संख्या : 6

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को
व्यय हेतु लेनदार	1,06,085
टीडीएस देय	20,215
अंकेक्षण शुल्क देय	11,236
योग	**1,37,536**

Reserves and Surplus **Note No. 3**

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2014
Profit and Loss Account	
As per last Balance Sheet	
Profit/(Loss) of the year	(3,95,682)
Closing balance	**(3,95,682)**

Deferred Tax Liabilities **Note No. 4**

(Amount in ₹)

Particulars		As at 31st March, 2013
Deferred Tax Liability (A)		
	Total (A)	
Deferred Tax Asset (B)		
Related to incorporation expenses		92,702
Related to carried forward losses		29,563
	Total (B)	1,22,265
Net DTL [(A)-(B)]		1,22,265

- In accordance with AS-22 "Accounting for taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Company has not provided for deferred tax asset of Rs 1.22 lacs, as there is no virtual certainty to get the tax credit in coming years.

Short Term Borrowing **Note No. 5**

(Amount in ₹)

Particulars		As at 31st March, 2014
Short term loan form Police Headquarter		2,64,690
	Total	2,64,690

Other Current Liabilities **Note No. 6**

(Amount in ₹)

Particulars		As at 31st March, 2014
Creditor for expenses		1,06,085
TDS payable		20,215
Audit fees payable		11,236
	Total	1,37,536

CIN : U45201RJ2013SGC043014

नकद एवं बैंक शेष

टिप्पणी संख्या : 7

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को
हस्तगत रोकड़	–
बैंक शेष	
चालू खाता (पंजाब नेशनल बैंक में)	29,96,951
पी/डी खाता	20,00,000
योग	**49,96,951**

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

टिप्पणी संख्या : 8

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को
स्त्रोत पर कर की कटौती	9,593
योग	**9,593**

अन्य आय

टिप्पणी संख्या : 9

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लिये
ब्याज की आय	82,396
योग	**82,396**

परिचालन, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

टिप्पणी संख्या : 10

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लिये
प्रशासनिक व्यय	
निगमन व्यय	3,33,342
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	1,26,300
अंकेक्षण शुल्क	11,236
मण्डल की बैठक के व्यय	7,200
आरओसी फाइलिंग प्रभार	–
योग	**4,78,078**

Cash and Bank Balances **Note No. 7**

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2014
Cash in hand	-
Balance with banks	29,96,951
In current a/c (With Punjab national Bank)	20,00,000
P/D a/c	
Total	49,96,951

Short Tem Loans and advances **Note No. 8**

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2014
Tax deducted source	9,593
Total	9,593

Other Income **Note No. 9**

(Amount in ₹)

Particulars	For the period ended 31st March, 2014
Interest income	82,396
Total	82,396

Operational, Administrative and Other Expenses **Note No. 10**

(Amount in ₹)

Particulars	For the period ended 31st March, 2014
Administrative Expenses	
Incorporation expenses	3,33,342
Legal and professional fees	1,26,300
Audit fees	11,236
Board meeting expenses	7,200
Total	4,78,078

प्रति अंश अर्जन

टिप्पणी संख्या : 11

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14
लाभ व हानि खाता के अनुसार कर पश्चात् लाभ	(3,95,682)
बकाया साम्या अंशों की संख्या	50,000
प्रति अंश का अंकित मूल्य (रूपये)	100.00
मूल एवं मन्दित प्रति अंश अर्जन (रूपये)	(7.91)

टिप्पणी संख्या : 12

सामान्य टिप्पणियां

12.1 जैसा कि कम्पनी इस वर्ष में निगमित हुई है, गत वर्ष के आंकड़े नहीं दिये गये है।

12.2 निजी खातों (डेबिट/क्रेडिट), विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष पुष्टीकरण के अधीन है।

12.3 बैंक शेषों को यथा लेखा–पुस्तकों के लिया गया है एवं माना गया है।

12.4 निगमन व्ययों को लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

टिप्पणी संख्या : 13

सामान्य परिचालन चक्र एवं आस्तियों और दायित्वो का चालू व गैर–चालू में वर्गीकरण

13.1 कम्पनी मामलात मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ 447(ई) दिनांक 28.02.11 एवं एसओ 653(ई) दिनांक 30.03.2011 द्वारा अधिसूचित एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची – VI के अनुसार, सभी आस्तियों एवं दायित्वों को यथा चालू अथवा गैर–चालू के दर्शाया गया है।

13.2 उपरोक्त सामान्य परिचालन चक्र एवं संशोधित अनुसूची VI में विहित अन्य मानदण्ड को लागू करते हुये उपरोक्त व्यापार की आस्तियों एवं दायित्वों की चालू एवं गैर–चालू में वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

ह०
(राकेश तोतुका)
साझेदार
सं.सं. 070530
स्थान : जयपुर
दिनांक : 04.09.2014

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

ह०
(मोहन लाल लाठर)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06868493

ह०
(ओमेन्द्र भारद्वाज)
निदेशक
डीआईएन : 06577607

Erning per Share (EPS) **Note No. 11**

Particulars	**F.Y.2013-14**
Profit after tax as per P&La/c	(3,95,682)
Number of equity shares outstanding	50,000
Face value per equity share(in Rs.)	100.00
Basic and diluted earning per share(EPS) (in ₹)	(7.91)

Note No. 12

General Notes

12.1 Previous year figure has not been given as the company is incorporated this year.

12.2 Balance in personal accounts(Debit/Credit),sundry debtors and creditor are subject to conformation.

12.3 Bank balance has been taken and accepted as per books of accounts

12.4 Incorporation expenses have been charged to statement of Profit and Loss.

Note No. 13

Normal operating cycle and classification of assets and liabilities into current and non current

13.1 All assets and liabilities are presented as current or non current as per criteria set out in revised schedule VI of the Companies Act,1956 notified by the Ministry of Corporate Affairs vide notification no. SO447(E) dt.28.02.2011 and SO653(E)dt.30.03.2011

13.2 Assets and liabilities of the above business have been classified into current and non current using the above Normal Operating Cycle and applying other criteria prescribed in Revised schedule VI

As per our separate report of even date

For Garg Narendra and Assosiates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing &
Construction Corporation Ltd.

Sd.	Sd.	Sd.
(Rakesh Totuka)	**(Mohan Lal Lather)**	**(Omendra Bharadwaj)**
Partner	**Managing Director**	**Director**
M No. 070530	**DIN:06868493**	**DIN:06577607**

Place: Jaipur
Date : 04.09.2014

सत्यमेव जयते

संख्या जीएसएसए–बी/एस–5/एए/आरपीएचसीसीएल/2015–15/के–279/1127

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान
जनपथ, जयपुर–302005

दिनांक 02.01.2015

प्रबंध निदेशक,
राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
कक्ष संख्या –105, न्यू पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।

विषयः राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम धारा 619(5) के अंतर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान पुलिस हाउसिंग एवं कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के अधीन "लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र" जारी करने का निर्देश हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वार्षिक लेखें एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

ह०
वरि.उपमहालेखाकार
(जी.एस.एस.ए.–II)

CIN : U45201RJ2013SGC043014

295

सत्यमेव जयते

No. GSSA-B/S-5/AA/RPHCCL/2014-15/K-279/1127

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL AND SOCIAL SECTOR AUDIT) RAJASTHAN

Janpath, Jaipur-302005

Date
02.01.2015

Managing Director,
Rajasthan Police Housing & Construction
Corporation Ltd., Jaipur,
Room No. 105, New Police Headquarter,
LalKothi, Jaipur.

Subject : Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd., Jaipur for the year ended 31 March, 2014.

Sir,

Under section 619(5) of the Companies Act. I am directed to submit before the Annual General Meeting, the comments of the Comptroller and Auditor General of India, under section 619(4) on the Accounts of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd. for the year ended 31 March, 2014.

Seven copies of financial statement & auditing report as may be placed and accepted in the Annual General Meeting, may be sent to this office at the earliest possible.

Yours,
-sd -
Sr.Dy. Accountant General
(G.S.S.A.-II)

Enclosed : as above

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणी

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विहित रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व उन वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत व्यावसायिक निकाय, भारत के चार्टड एकाउन्टेन्ट्स की संस्था द्वारा विहित किये गये लेखा परीक्षण व आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित मत व्यक्त करने का है। उनके द्वारा ऐसा किया जाना उनकी अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 4 सितम्बर, 2014 में वर्णित है।

मैने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के निमित, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण संचालित किया है। इस अनुपूरक अंकेक्षण को स्वतंत्रतापूर्वक वैधानिक अंकेक्षकों के कार्य दस्तावेजों के बिना अभिगमन् किये, निष्पादित किया है तथा मुख्यतः वैधानिक अंकेक्षकों की जांच एवं कम्पनी कार्मिक व कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है। मेरे अनुपूरक अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी मैं कोई महत्वपूर्ण प्रकरण नहीं आया जिस पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट या अनुपूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार
के लिए व निमित्त

ह०
(दिव्या मल्होत्रा)
प्रधान महालेखाकार
(सा. एवं सा.क्षे.ले प.)
राजस्थान, जयपुर

स्थान :– जयपुर
दिनांक :– 2.01.2015

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED, JAIPUR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2014.

The preparation of financial statements of RAJASTHAN POLICE HOUSING AND CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED, JAIPUR for the year ended 31st March 2014 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619{2} of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956. based on independent audit in accordance with the Auditing and Assurance Standards prescribed by their professional body, the institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 4th September, 2014.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619{3} (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Rajasthan Police housing & construction Corporation Limited, Jaipur for the year ended 31 March 2014. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comments upon or supplement to Statutory Auditor's report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Jaipur
Date: 02.01.2015

-sd -

(Divya Malhotra)
Principal Accountant General (G&SSA)
Rajasthan, Jaipur

CIN : U45201RJ2013SGC043014